

राजस्थान सरकार
राज्य व. पुन-व. विभाग

क्रमांक:- ए.डी/15/राज-8/99/2

जयपुर, दिनांक:- 8-3-2000

:- अधिसूचना :-


राजस्थान पुन-संरचना अधिनियम, 1956] 1956 वा अधिनियम सं. 15] की धारा 200 की उप-धारा 1] के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज. सरकार राजस्थान अधिनियम की धारा 90-अ, के अधिनियम सं. 15] के अधिनियम सं. 1999 वा अधिनियम सं. 21] के द्वारा अन्तः स्थापित की गई है, के प्रोविसार्स श्री श्रीराम अग्रवाल, स्थापक प्राध्यापक, जे.एन.ए. [जाजोडी] को दिनांक 12-1-2000 से जे.एन.ए. के उपाध्यक्ष कम प्राध्यापक अधिकारी के कार्यालय के गैर अधिकारों का पर्यन्त *Ex-tinction* एवं पुनः वापस *Resumption*। वरन् हेतु प्राध्यापक अधिकारी की अधिकार प्रदत्त करती है।

राजस्थान के आदेश है,

श्री श्रीराम अग्रवाल
स्थापक उपाध्यक्ष

प्राथमिक नियुक्ति एवं प्रोविसार्स कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी शिक्षा, राजस्थान स्त्री/पुरुष शैक्षिक/राजस्थान शैक्षिक।
- 2- लोकगीत प्राध्यापक, जयपुर।
- 3- प्राध्यापक, जयपुर विद्यालय प्राध्यापक, जयपुर।
- 4- प्रमुख कार्यकारी शैक्षिक, कर्मीय विद्यालय एवं आयातक विद्यालय।
- 5- शिक्षा फोर्सेटर, जयपुर।
- 6- निदेशक, राजस्थान जल संशोधन।
- 7- निदेशक, राज्य केन्द्रीय उच्च शिक्षा, जयपुर की राजस्थान वि.
8-3-2000 के प्रोविसार्स।
- 8- "श्रीराम" राजस्थान जल संशोधन, जयपुर।
- 9- निदेशक, राजस्थान केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर।
- 10- अध्यापक सं. शिक्षा एवं सेवा सं. राजस्थान जल संशोधन, जयपुर।
- 11- आचार्य उपाध्यक्ष कर्मीय विद्यालय एवं आयातक विद्यालय, जयपुर।
- 12- शैक्षिक प्रशासकी।


स्थापक उपाध्यक्ष